बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र0--06–रा0का0–II–02/2013 6488 /खाद्य,पटना/दिनांक 14/08/15

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त परिवारों का राशन कार्ड खो जाने/जल जाने के बाद Duplicate राशन कार्ड निर्गत करने हेतु मार्गदर्शन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत ऐसे पूर्विकताप्राप्त परिवार जिनका राशन कार्ड खो गया है/जल गया है को द्वितीयक (Duplicate) राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में भारत सरकार से मार्गदर्शन की मांग की गई थी जिसके संबंध में भारत सरकार का मार्गदर्शन पत्र सं0– 24–बिहार/2015–पी.डी.–2 दिनांक 12.05.2015 के द्वारा प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र की छायाप्रति अनुलग्नक सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है ।

अनु0:–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

14/8/2015
सरकार के सचिव।

D:\@YEAR-2015@\@SEC-06-@\A.@_Vividh.doc

फ़ाइल सं . 24-बिहार /2015-पी डी 2

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली . 110001

दिनांक 12 जून 2015

सेवा में,

सचिव,
खाद्य और नागरिक आपूर्ति बिभाग,
बिहार सरकार,
पटना |

विषय : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पुर्विकताप्राप्त परिवारों का राशन कार्ड खो जाने / जल जाने के बाद Duplicate राशन कार्ड निर्गत करने हेतु मार्गदर्शन देने के संबंध में|

महोदय,

आपका दिनांक 27 -05-2015 का पत्र जो कि इस विभाग को दिनांक 03-06-2015 को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन करें | इस विभाग को आपका दिनांक 12-01-2015 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है | आपने अपने पत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पुर्विकताप्राप्त परिवार, जिनका राशन कार्ड खो गया है / जल गया है, को Duplicate राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में मार्गदर्शन के बारे में है |

2. इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (अर्क संलग्न) के अंतर्गत खंड 4 (15) में राज्य सरकार को अधिकार दिया है कि वह विध्यमान राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड उस खंड में दिये हुए निर्देशों के आधार पर जारि कर सकती है |

भवदीय

(सुनील चौहान)
अवर सचिव (पी डी 2)

परंतु पुनर्विलोकन के पश्चात् गृहस्थियों की कुल संख्या उपखंड (2) में विहित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी ।

4. राशन कार्ड—(1) राज्य सरकार खंड 3 के उपखंड (12) के अधीन विनिर्दिष्ट अंतिम सूची में वर्णित पात्र गृहस्थियों को राशन कार्ड जारी करेगी :

परंतु राज्य सरकार पात्र गृहस्थियों को राशन कार्ड जारी करते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र गृहस्थियों की संख्या को केवल पात्र गृहस्थियों की संख्या की राज्यवार अधिकतम सीमा को पूरा करने की दृष्टि से ही पूरा न किया जाए ।

(2) राज्य सरकार केवल भारत के ऐसे नागरिक को ही राशन कार्ड जारी करेगी जो उस राज्य का निवासी है और जो राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए उन शर्तों को पूरा करता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परंतु राज्य सरकार उस राज्य में निवास करने वाली ऐसी गृहस्थी या व्यक्ति को भी राशन कार्ड जारी कर सकेगी जिसे शरणार्थी की प्रास्थिति अनुदत्त की गई है और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा मानवीय आधार पर फायदों की हकदारी अनुज्ञात की गई है ।

(3) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वर्णित स्कीमों के अधीन या आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य सरकार की विनिर्दिष्ट स्कीम के अधीन उपयोग के लिए चाहे कागज आधारित या स्मार्ट कार्ड आधारित, राशन कार्ड जारी किया जाए ।

(4) स्मार्ट कार्ड जारी करने के दौरान राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उचित मूल्य की दुकान में स्मार्ट कार्ड को पढ़ने करने के लिए विक्रय बिन्दु इलैक्ट्रानिकी युक्ति प्रतिष्ठापित की जाए ।

(5) राज्य सरकार अंत्योदय गृहस्थियों और पूर्विकता गृहस्थियों को पृथक् और सुभिन्न राशन कार्ड जारी करेगी ।

(6) राशन कार्ड का उपयोग पहचान या निवास के सबूत के दस्तावेज के रुप में नहीं किया जाएगा ।

(7) राज्य सरकार नए राशन कार्ड और विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणों के लिए आवेदन का समुचित प्ररुप विहित करेगी ।

(8) निवास में परिवर्तन, जन्म या मृत्यु, फायदाग्राही के प्रवर्ग में परितर्वन, कार्ड में वर्णित ब्यौरों में शुद्धियां या ऐसे किसी अन्य कारण के लेखे उपखंड (7) में निर्दिष्ट कोई उपांतरण ।

(9) उपखंड (7) में निर्दिष्ट प्ररुप में अपेक्षित ब्यौरे, जिसके अंतर्गत आधार संख्या, बैंक खाते के ब्यौरे और मोबाइल टेलीफोन नंबर आदि शामिल हो सकेंगे ।

(10) राज्य सरकार इस खंड के अधीन सभी सूचना राष्ट्रीय आसूचना केंद्र द्वारा तैयार साफ्टवेयर में या केंद्रीय सरकार द्वारा विहित फील्ड और मानकों के अनुसार प्रतिधारित करेगी ।

(11) राज्य सरकार डिजिटाइज्ड डाटा बेस में राशन कार्ड के डाटा का अनुरक्षण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि नए राशन कार्ड को जारी करना और विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण साफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से किए जाएं /जिससे डाटा बेस स्वत: अद्यतन हो जाए ।

(12) राज्य सरकार राशन कार्ड जारी करने के लिए या राशन कार्ड में उपांतरण के लिए आवेदन प्राप्त करने, रजिस्ट्रीकरण करने, अभिस्वीकृति देने और प्रसंस्करण करने के लिए प्राधिकारी और कार्यालय को नामनिर्दिष्ट करेगी ।

(13) राज्य सरकार ऑनलाइन तंत्र, जिसके अंतर्गत ई-सेवा केंद्र, क्योस्कों का उपयोग भी है, के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी विहित कर सकेगी ।

(14) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी पात्र आवेदक को आवश्यक जांच और सत्यापन के पश्चात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर राशन कार्ड जारी करेगा ।

(15) राज्य सरकार विद्यमान राशन कार्ड के स्थान पर नया राशन कार्ड केवल तभी जारी करेगी जब विद्यमान राशन कार्ड खो जाए या नष्ट या विरुपित होने के कारण उपयोग के योग्य न रह जाए या पूर्णतया समाप्त हो जाए या जब राशन कार्ड में उपांतरणों के लिए अनुरोध किया जाए ।

(16) राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं के ब्यौरे और सेवाओं के परिदान के लिए समय-सीमा को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और राज्य वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

(17) राशन कार्ड धारकों की सूची को स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय और राज्य वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर पात्र गृहस्थियों और उनके सदस्यों के नामों को प्रवर्गवार उपदर्शित करते हुए प्रदर्शित किया जाएगा ।